संख्याः 775/I(2)/2008-04(8)/13/07

प्रेषक,

सी0 भास्कर,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनांकः 20 मार्च, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में मनेरी भाली–II परियोजना के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 को ऋण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त) उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 के पत्र संख्या 117/UJVNL/D(F)/MB-II/PDF, दिनांक 14.02.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मनेरी भाली–II परियोजना के निर्माण हेतु ऋण के रुप में रु0 90,00,00,000.00 (रु0 नब्बे करोड मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0–15 अनुसार अनुदानान्तर्गत विभिन्न लेखाशीर्षकों में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यय करने के लिये आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल उक्त परियोजना के निर्माण हेतु ही व्यय की जायेगी।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 द्वारा हस्ताक्षरित एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर किया जायेगा।

3– व्यय करने से पूर्व योजनाओं पर बजट मैनुअल, फाईनेन्सियल हैण्डबुक स्टोर पर्चेज तथा शासन के मितव्ययता के विषय में आदेश व तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 अथवा टैण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

4– कार्यों पर व्यय करने से पूर्व इनके विस्तृत आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन एवं सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– कराये जाने वाले कार्यों की कम्प्यूटरीकृत इन्वेन्ट्री तैयार की जायेगी जिसकी सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6– आवश्यक सामग्री का क्रय सम्बन्धित फर्म से प्राप्त सामग्री की जॉच के उपरान्त ही किया जायेगा एवं इस हेतु सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा, जो इस हेतु पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

7– इस ऋण पर भी ब्याज की दर 9.5% निर्धारित की जाती है तथा विलम्ब की दशा में 1.0% अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देय होगा। मूलधन की वापसी वार्षिक 10 समान किश्तों में होगी, जिसकी प्रथम किश्त माह जुलाई, 2008 से प्रारम्भ होगी। ब्याज की धनराशि का त्रैमासिक भुगतान किया जायेगा।

8– प्रत्येक ऋण आहरण की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, निधि लेखाशीर्षक सूचित करते हुये भेजेंगे।

9– उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 जब भी ऋण वापसी की किश्तों एवं ब्याज का भुगतान करे महालेखाकार कार्यालय एवं शासन के ऊर्जा सैल को निम्न बिन्दुओं पर सूचना भेजे–

1– कोषागार का नाम, 2– चालान सं0, 3– जमा धनराशि, किश्त, ब्याज, 4– शासनादेश संख्या और एस0एल0आर0 का संदर्भ, 5– लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा की धनराशि ब्याज।

10- उजविनिलि को दिये जाने वाले ऋण का लेखा शासन के ऊर्जा सैल द्वारा भी रखा जायेगा।

11- ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा आहरण के प्रत्येक वर्ष पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखे से अवश्य करें तथा शासन को मिलान की सूचना उपलब्ध कराई जाय तथा किश्तों के भुगतान का मिलान शासन से भी करा लें।

12- भविष्य में ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाय कि ऋणी संस्था इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से करा लिया है ताकि अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋण संस्था महालेखाकार से इस आशय का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दे।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन को दिनांक 31.03.2008 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

14- अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप पर उपलब्ध कराया जायेगा।

15- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-01-जल विद्युत उत्पादन-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-06-जल विद्युत परियोजनाओं हेतु यूजेवीएनएल में निवेश-00-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 313/XXVII(2)/2008, दिनांक 20 मार्च, 2008 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(सी0 भास्कर)
अपर सचिव

संख्याः 775/1(2)/2008-04(8)/13/07, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2- जिलाधिकारी, देहरादून।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु ।
5- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
6- श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9- प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10- ऊर्जा सैल, उत्तराखण्ड शासन।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव

बी0एम0–15

पुनर्विनियोग 2007–2008 आयोजनागत अनुदान सं0–21

नियन्त्रक अधिकारी–सचिव–ऊर्जा विभाग

विभाग का नाम– ऊर्जा विभाग, उत्तरांचल शासन।

(रु0 हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्याधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 से कुल अवशेष धनराशि	सन्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01–जल विद्युत उत्पादन–आयोजनागत 190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 05–ऊर्जा विकास निधि में विनियोजन 30–निवेश/ऋण 1038400	932464	–	105936(क)	4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01–जल विद्युत उत्पादन–आयोजनागत 190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 06–जल विद्युत परियोजनाओं हेतु यूजेवीएनएल में निवेश–00 30–निवेश/ऋण 900000	1600000	932464	(क) आवश्यकता न होने के कारण। (ख) बजट प्राविधान पर्याप्त न होने के कारण।
4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05–पारेषण एवं वितरण 190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 05–ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजनाओं हेतु निवेश 30–निवेश/ऋण 357800	20904	–	336896(क)			20904	
6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज 01–जल विद्युत उत्पादन 190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 97–बाह्य सहायतित योजना 01–जल विद्युत परियोजनाओं हेतु बाह्य सहायता (एडीबी) 30–निवेश/ऋण 42700	–	–	42700			–	
05–पारेषण एवं वितरण 190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0101–एपीडीआरपी योजना अन्तर्गत पारेषण एवं वितरण हेतु उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को सहायता/ऋण 30–निवेश/ऋण 250000	–	–	250000			–	
03–उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को ऋण 30–निवेश/ऋण 317001	170262	–	146739			170262	
97–बाह्य सहायतित योजना 01–पारेषण योजनाओं हेतु बाह्य सहायता (एडीबी) 30–निवेश/ऋण 26900	–	17100	18800			17100	
योग– 2032801	1123630	17100	900000	900000(ख)	1600000	970488	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद–150,151,155,156 में उल्लिखित सामान्यों का एवं प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(सी0 भास्कर)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-2
संख्या: 513(A)/XXVII(2)/2008
देहरादून दिनांक: 20 मार्च, 2008

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(डॉ० एम०सी० जोशी)
अपर सचिव वित्त

सेवा में,

महालेखाकार
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या- 775 /I(2)/2008-04(8)/13/04, दिनांक 26 मार्च, 2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
2- वित्त अनुभाग-2

(सी० भास्कर)
अपर सचिव